

राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1298 / 2011 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड।

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स गुडलेस नेरोलेक पेन्ट्स, लि.,
जोधपुर / जयपुर,
वाहन संख्या—आर.जे.19 जी—7166।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री मोती कोटवानी,
अधिकृत प्रतिनिधि,

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबू रोड द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स—द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है तथा जो अपील संख्या—68 / अपील्स—II / आर.एस.टी. / जयपुर / एच / 2010—11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबू रोड (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति 79,553/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा माल परिवहन के दौरान दिनांक 22.04.2000 वाहन चैक करने पर वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने पर सशक्त अधिकारी द्वारा जांच कर यह पाया गया था कि माल अधिसूचित वस्तु की श्रेणी के होने के बावजूद वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों के साथ घोषणा प्ररूप 18 ए सलंगन नहीं था, जो नियम 54 के तहत आवश्यक था, जिसके कारण सशक्त अधिकारी

द्वारा प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से श्री टी.ए. रामास्वामी ने उपस्थित होकर घोषणा प्ररूप एस.टी 18 ए मय जवाब प्रस्तुत किया। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय प्रस्तुत किये गये घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 उ को अस्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तत्कालीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपील आदेश दिनांक 07.01.2002 के जरिये प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 07.01.2002 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 30.04.2002 को प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा कर बोर्ड के पारित आदेश दिनांक 30.04.2002 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करने पर, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555 / 03 सा.व.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मै ० देव ट्रेडिंग कं० के निर्णय दिनांक 05.09.07 द्वारा उक्त अपील प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै ० डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अतः उक्त निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 15.12.2009 के प्रकरण को सशक्त अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै ० डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में “भूलवश” प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये जाने के अभाव में, पुनः जांच किये जाने हेतु निर्देशित कर, प्रकरण को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात्, अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए को बाद की सोच होना अवधारित कर, सशक्त अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 26.09.2000 के आरोपित शास्ति रु. 79,553/- को बहाल कर, आदेश दिनांक 24.05.2010 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी

व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कायम की गयी शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा जो घोषणा प्ररूप 18 ए अपीलार्थी के समक्ष नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया है, वह बाद में सोची हुयी युक्ति है। अग्रिम कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अपने उक्त कथन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 डी.पी.मेटल्स व अन्य तथा मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क030 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णय को संदर्भित कर इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी.पी.मेटल्स प्रकरण में किन्हीं ऐसे दस्तावेजों को जिन्हें भूलवश(by mistake) जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था, के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। परन्तु प्रकरण में बाद में घोषणा प्ररूप 18 ए प्रस्तुत किया गया है, जो 'भूल' की श्रेणी में नहीं आता। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 डी.पी.मेटल्स व गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी का आदेश बहाल करने की प्रार्थना की है।

5.. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपरिथित होकर कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 5197 / दिनांक 03.08.07 मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क030 का निर्णय उक्त प्रकरण की भिन्न तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण लागू नहीं होता है क्योंकि मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क030 खाली/अपूर्ण प्रपत्र 18 ए/सी से संबंधित है, जबकि प्रत्यर्थी के प्रकरण में वाहन चालक/परिवहनकर्ता ने भूलवश घोषणा प्ररूप 18 ए वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया था जिसे प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में, जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया


था, जिसे माननीय कर बोर्ड, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2002 द्वारा समस्त परिस्थितियों का विश्लेषण कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की थी। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में पारित अपीलीय आदेश को यथावत रख, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 473 / 2008 निर्णय दिनांक 21.03.2013, एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 3 / 2011 निर्णय दिनांक 27.04.2013 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 36 टैक्स अपडेट 222 को प्रोद्धरित किया गया।

6. उभय पक्षीय बहस मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी सिविल रिवीजन क्रमांक 555 / 2003 निर्णय दिनांक 05.09.2007 में प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि " Cases in Schedule-B are the cases which involve the other questions, like the case being not accompanied with the documents required by Section 78(2)(a), and/or the document being not genuine, or fabricated, or the documents having not been produced before the Officer In Charge of the Check Post, despite notice under Section 78(5), or the cases, wherein documents have been produced after checking before the Officer-in-charge of the Check Post. According to the judgement in Guljag Industries case, this question is covered by the judgement of Hon'ble the Supreme Court, in D.P.Metals case. Accordingly, in view of the directions given by the Hon'ble the Supreme Court in Guljag Industries case, such matters shall be decided in the light of the law laid down in D.P.Metals case. Therefore, these cases are sent back to the concerned Dy. Commissioner (Appeals) to decide them in accordance with law laid down in D.P.Metals case, read with Guljag Industries, case." इस प्रकार माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत मै0 गुलजग इण्ड0 उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता क्योंकि मै0 गुलजग इण्ड0 खाली/अपूर्ण प्ररूप 18 ए/री से संबंधित है, जबकि विवादित प्रकरण में घोषणा प्ररूप 18 सी वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी के पास सौजन्य नहीं था एवम् प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा प्ररूप 18 ए नोटिस देने के बाद जवाब के साथ सशक्त अधिकारी

के समक्ष पेश कर दिया था, जो कि पत्रावली के पेज क्रमांक 21 पर मौजूद है जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया गया है, जबकि इस संबंध में कर बोर्ड के तत्कालीन आदेश दिनांक 30.04.2002 में समस्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार कर, कर बोर्ड की एकलपीठ ने घोषणा प्ररूप एस.टी.18 ए वाहन चालक द्वारा भूलवश प्रस्तुत नहीं होना अवधारित किया है। अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स, 124 एस.टी.सी 611 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, घोषणा प्ररूप एस.टी 18 ए को भूलवश प्रस्तुत नहीं करने के कारण, विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवं उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

7. परिणामतः, अपील अस्वीकार की गयी।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।


20.8.2011
(मदन लाल)
सदस्य